

समाहरणालय, बक्सर
(सामान्य शाखा)

आदेश

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक- 13293, दिनांक- 05-10-1991 पत्रांक- 2822, दिनांक- 27-04-1995, पत्रांक- 11462, दिनांक- 24-08-2016 एवं पत्रांक- 5958, दिनांक- 25-04-2012 में निहित प्रावधानानुसार एवं दिनांक- 13-12-2017 को सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक- 01-0042/ स्था, दिनांक- 05-01-2018 के आलोक में स्व0 राजवंश सिंह, चौकीदार, अंचल- नावानगर के पुत्र श्री धनेश रंजन, पिता- स्व0 राजवंश सिंह, शैक्षणिक योग्यता-इंटरमीडिएट, ग्राम+पोस्ट- अतिमी, थाना- नावानगर, जिला- बक्सर को अंचल- नावानगर में चौकीदार के पद पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन-1800 एवं समय समय पर सरकार द्वारा अनुमान्य भत्तों एवं निम्न शर्तों के साथ नियुक्त किया जाता है :-

1. यह नियुक्ति परीक्षा के आधार पर की गयी है। परीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी। परीक्षा की अवधि में इनकी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जायेगी तो परीक्षा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। अगर वर्धित अवधि के दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी गयी तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है।
 2. यह नियुक्ति विल्कुल अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना एवं कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
 3. नवनियुक्त चौकीदार की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर की गयी है, फलतः मृतक के आश्रितों का भरण-पोषण करने हेतु पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। ऐसा नहीं करने पर इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी तथा परिलब्धियों का एक अंश काटकर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतान किया जायेगा।
 4. नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रितों को भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्त पदाधिकारी द्वारा कारण पृच्छा कर इनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।
 5. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल में प्रस्तुत करना होगा।
 6. योगदान के लिए कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
 7. वेतन का भुगतान योगदान स्वीकृति की तिथि से देय होगा।
 8. शैक्षणिक प्रमाण पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक- नि0-2253, दिनांक- 31-08-2018 से माध्यमिक परीक्षा का सत्यापन एवं प्रशाखा पदाधिकारी, पटना प्रमण्डल (परीक्षा) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उ0मा0), पटना के पत्रांक- BSEB/SS//Pat/Ex/2130/D-19, दिनांक- 30-05-2019 द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा का सत्यापन करा लिया गया है।
- नियुक्ति पत्र निर्गत होने के 30 (तीस) दिनों के अन्दर यदि योगदान नहीं किया जायेगा तो इनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

ह/

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक-09-0715 सा0, दिनांक-09/7/2019

प्रतिलिपि:-

श्री धनेश रंजन, पिता- स्व0 राजवंश सिंह, ग्राम+पोस्ट- अतिमी, थाना- नावानगर, जिला- बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर अंचल नावानगर में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा यह माना जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं हैं तथा नियुक्ति रद्द मानी जायेगी।

R-ly
08/07/19

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।


ज्ञापांक 02-0775 सा0, दिनांक 09 / 7 / 2019

प्रतिलिपि:-

पुलिस अधीक्षक, बक्सर/ असैनिक शल्य चिकित्सक-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर/ अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, डुमरॉव/ अंचलाधिकारी, नावानगर/ वरीय कोषागार पदाधिकारी, डुमरॉव/ थानाध्यक्ष, नावानगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर/ आईटी0मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि जिले के वेबसाइट पर अप-लोड करना सुनिश्चित करें।


जिला प्रदाधिकारी,
बक्सर।